# दक्षिण मध्य रेलवे

# प्रधान कार्यालय संरक्षा संगठन

# द्वि-मासिक संरक्षा बुलेटिन - नवंबर और दिसंबर - 2023

*****

## दक्षिण मध्य रेलवे पर घटी दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं का विवरण

### (1) दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 26.10.2023 को 18:02 बजे नांदेड़ मंडल के पूर्णा यार्ड में मल्टी लोको सं.70063 और 12566/डब्ल्यूडीजी4/पीए के साथ गाड़ी सं.केआईआईबी/कंटेनर खाली माल गाड़ी को माल लाइन से मरसूल स्टेशन की ओर भेजते समय जावक गाड़ी सं. 12719 एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए सामान्य लूप लाइन (प्लैटफार्म सं. 4) से 17:56 बजे शंटिंग नेक-2 के लिए एमयू एलई सं 11393 और 11436 /एमएलवाई का संचालन किया गया था, तब गाड़ी सं.केआईआईबी/सी के एमयू लोको नंबर 70063 + 12566 / डब्ल्यूडीजी -4 / गाड़ी के पीए पाइंट सं. 51बी और 53बी के बीच पटरी से उतर गया और शंटिंग नेक-2 पर एमयू एलई भी ड्रॉप आर्म के एक सिरे के कारण रुक गया, ओएचई सामग्री शंटिंग नेक-2 पर चलने वाले मल्टी लाइट इंजन के बॉडी फ्रेम में फंस गई और उसका दूसरा सिरा रेलपथ से टकराकर रेलपथ टूट गया, जिससे गाड़ी सं.केआईआईबी/सी के लीडिंग लोको सं.70063 के सभी पहिये और ट्रयलिंग लोको सं. 12566 के फ्रंट ट्रक के सभी पहिए पाइंट नंबर 51बी और 53बी के बीच पटरी से उतर गए.

इस दुर्घटना को – डी 5 के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

**दुर्घटना का कारण:**

1. असेंबल्ड ड्रॉप आर्म को निकट स्थापन के बजाय पटरियों के बीच रखा गया या रेलपथ से दूर रखा गया.
2. यातायात अवरोध/कार्य स्थल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई.

**जिम्मेदारी :**

**प्राथमिक :**

1. श्री शिव शंकर, एसएसई/आरई/नांदेड

**गौण :** कोई नहीं

**दोषी** :

1. श्री नितीश कुमार, माल लोको पायलट/पूर्णा (शंटर के रूप में कार्यरत)
2. श्री भनवर सिंह मीना, माल लोको पायलय/अकोला,
3. श्री वाकडे आशीष देवराव, सहायक लोको पायलट/अकोला

**जिन नियमों का उल्लंघन किया गया:**

1. एसएसई/आरई/नांदेड : आईआरएसओडी पैरा संख्या 8 (ए) अनुसूची-I का अध्याय-I (पृष्ठ सं.3) का उल्लंघन किया गया.
2. लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और शंटर: सा.व स.नि, सा.नि. सं. 4.40 का उल्लंघन किया गया.

## प्रकाश में लाए गए मामले:

1. जहां कहीं भी ऐसा कोई कार्य किया जाता है, पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को तैनात किया जाए.
2. आरई पर्यवेक्षकों द्वारा उचित पर्यवेक्षण की आवश्यकता है.
3. आरई कार्यों से संबंधित उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए.

## सुझाव और सिफारिशें:

1. आरई/टीआर पर्यवेक्षकों/अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से संरक्षा पार्क/संरक्षा सेमिनार आयोजित किए जाए.
2. आरई/टीआर पर्यवेक्षकों/अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से घात जांच की जाए.
3. किसी अनधिकृत कार्य/असुरक्षित कार्य स्थल के मामले की सूचना तुरंत मंडल को दी जाए.
4. क्षति की कुल लागत रु. 48,97,961/- (अड़तालीस लाख सत्तानबे हजार नौ सौ इकसठ रूपये मात्र)

   कोर/सिकंदराबाद यूनिट से वसूला जाए.

II. **दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण:** दिनांक 22.11.2023 को 06:52 बजे, डाउन गाड़ी सं. 17254 सिकंदराबाद – गुंटूर पैसेंजर, लोको सं.39261/डब्ल्यूएपी7/एलजीडी 19 कोच + एक डेड लोको सं. 40203/डब्ल्यूडीपी4डी/जीवाई के साथ , हैदराबाद मंडल के बालानगर (बीएबीआर) स्टेशन पर शेड्यूल स्टॉप के लिए डाउन लूप लाइन में प्रवेश करते समय, लोको पायलट ने डाउन लूप लाइन स्टार्टर (एस4) को "ऑन" स्थिति में पार किया और 16.25 मीटर पार करने के बाद गाड़ी रोक दिया.

इस दुर्घटना को - H1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

## दुर्घटना का कारण:

1. डाउन लूप लाइन में प्रवेश के लिए फाटक व दूरस्थ सिगनल सावधान पहलू में, अंतर दूरस्थ सिगनल सावधान पहलू में तथा निकट सिगनल सतर्कता पहलू में था, लोको पायलट ने निकट सिगनल पार करते समय गाड़ी सं. 17254 की गति को 54 किमीप्रघं से 29 किमीप्रघं तक कम किया, डाउन लूप लाइन के सम्मुख पाइंटों से गुजरते समय और प्लैटफार्म के आधे हिस्से तक पहुंचते हुए इसे घटाकर 25 किमीप्रघं कर दिया लेकिन सतर्क न रहने के कारण ब्रेक लगाने में देरी हुई, परिणामस्वरूप गाड़ी सं. 17254 लोको नंबर 39261 / एलजीडी ने दि.22.11.2023 को 06:52 बजे बालानगर(बीएबीआर) स्टेशन पर प्रस्थान सिगनल (एस -4) को "ऑन" स्थिति में 16.25 मीटर तक पार किया.

2. दुर्घटना का कारण है माल लोको पायलट द्वारा देरी से ब्रेक लगाना , वरिष्ठ लोको पायलट द्वारा आरएस वाल्व का देर से लगाना और माल लोको पायलट और वरिष्ठ लोको पायलट द्वारा सिगनल को अनुचित तरीके से सूचित करना है.

## जिम्मेदारी :

### प्राथमिक :

1. श्री. भूपति रेड्डी गज्जेला, माल लोको पायलट/काचीगुडा, डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिगनल (एस-4) से पहले रोकने में विफल हुए और सिकंदराबा-डोन सेक्शन में बालानगर (बीएबीआर) स्टेशन पर "ऑन" स्थिति में सिगनल पार किया. यह दमरे के सा. व स.नि. 2020 के नियम सं. सा.नि. 3.08.4(बी), सा.नि. 3.81(1), सा.नि. 2.09, सा.नि. 3.83 (1&3) और स.नि. 4.40(1) का उल्लंघन है.

2. श्री. चंद्र भूषण कुमार, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट/काचीगुडा, जो डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिगनल (एस4) से पहले रोकने में विफल हुए और सिकंदराबा-डोन सेक्शन में बालानगर (बीएबीआर) स्टेशन पर "ऑन" स्थिति में सिगनल पार किया. यह दमरे के सा. व स.नि. 2020 के नियम सं. सा.नि. 3.08.4(बी), सा.नि. 3.81(1), सा.नि. 2.09, सा.नि. 3.83 (1&3) और स.नि. 4.40(1) का उल्लंघन है.

**गौण :**

1. श्री. बी. कृष्णा प्रसाद , जो श्री भूपति रेड्डी गज्जेला , माल लोको पायलट / काजीगुडा के लिए नामित मु.लोको निरीक्षक/काचीगुडा है, अपने नामित लोको पायलट के एसपीएम विश्लेषण करने में विफल रहे.
2. श्री. एस किरण कुमार , जो श्री चंद्र भूषण कुमार, व.सहायक लोको पायलट/ काचीगुडा के लिए नामित मुख्य लोको निरीक्षक/काचीगुडा है, अपने नामित कर्मीदल की समय पर निगरानी करने में विफल रहे.

**दोषी** : कोई नहीं

**जिन नियमों का उल्लंघन किया गया:**

1. लोको पायलट: दमरे सा.व स.नि. 2020 का सा.नि. 3.08.4 (बी), सा.नि. 3.81 (1), सा.नि. 2.09, सा.नि. 3.83 (1 और 3) और स.नि. 4.40 (1).
2. सहायक लोको पायलट: दमरे सा.व स.नि. 2020 का सा.नि. 3.08.4(बी), सा.नि. 3.81(1), सा.नि. 3.83 (1&3) और स.नि. 4.40(1)

## प्रकाश में लाए गए मामले:

1. माल लोको पायलट और वरिष्ठ सहायक लोको पायलट ने 17 किमीप्रघं की गति से डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिगनल (एस4) को "ऑन" स्थिति में पार किया और रुकने से पहले 16.25 मीटर आगे निकल गए. सम्मुख पाइंट, जो डाउन लूप लाइन स्टार्टर (एस4) से 1078 मीटर पर है से गुजरते समय गति 29 किमीप्रघं थी, माल लोको पायलट और वरिष्ठ सहायक लोको पायलट दोनों के पास स्टार्टर से पहले गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त समय था. लोको पायलट देर से ब्रेक लगाने और वरिष्ठ सहायक लोको पायलट देर से आरएस वाल्व लगाने के कारण खतरे पर सिगनल पार किया (स्पैड).

2. व.स.लोको पायलट श्री. चंद्र भूषण कुमार को पीआर देय होने पर भी ड्यूटी के लिए बुक किया गया. इस मुद्दे को शिफ्ट कर्मीदल नियंत्रक के ध्यान में लाया गया लेकिन उचित कार्रवाई करने में वह विफल हुआ. सीएमएस में पीआर की प्रविष्टि न होना भी गंभीर मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

## सुझाव और सिफारिशें:

1. माल लोको पायलट और वरिष्ठ सहायक लोको पायलट को हाथ से इशारा करते हुए स्टेशन का नाम, सिगनल का नाम, गाड़ी की गति, सिगनल से दूरी के साथ सिगनल पहलू को जोर से और स्पष्ट रूप से चिल्लाना होगा.
2. कर्मीदल की बुकिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि एलआर , पीआर आदि जैसी अनिवार्य आवश्यकताएं देय नहीं हों.
3. सीएमएस में पीआर की उचित प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाएं.
4. मुख्य लोको निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से एसपीएम का विश्लेषण और समय पर अपने कर्मीदल की निगरानी की जाए.
5. सभी लोको में सीवीवीआरएस को यथा शीघ्र स्थापित किया जाए.
6. कर्मीदल अपने डिपो से काफी दूर रहते हैं और उन्हें सुबह बहुत जल्दी ड्यूटी पर आना होता है, उन्हें रात में ही आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अच्छी नींद और आराम पाने के लिए उन्हें रेस्ट/रनिंग रूम में आराम करने की अनुमति दी जाए .

***

## स्टेशन मास्टर.....ध्यान दें

स.नि. **5.23.2.** **400 में 1** से अधिक ढ़लान वाले स्टेशनों पर वाहन/भार/गाड़ी खड़ी करने के लिए बरती जानेवाली अतिरिक्त सावधानियों को अनुमोदित विशेष अनुदेशों (रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाए और इसका संबंधित स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियमों में उल्लेख किया जाए. इनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए. इसके अलावा, अनुमोदित विशेष अनुदेशों में विनिर्दिष्ट सावधानियों के साथ-साथ निम्नलिखित सावधानियों का पालन भी किया जाए :-

**(1)**वाहनों को अलग करने से पहले, हथ ब्रेक लगाया जाए, वाहनों को लुढक़ने से रोकने के लिए लकड़ी के वेजों/आयरन स्किड का प्रयोग भी किया जाए.

**(2)**जहां तक संभव हो, वाहनों/भार/गाड़ी को ऐसी लाइन पर खड़ा किया जाए, जो अन्य लाइनों से पृथक हो, विशेषकर रनिंग लाइनों से.

स.नि. **5.23.3.** यदि भार/गाड़ी को इंजन के साथ जोड़ा गया हो या अकेले इंजन के साथ जोड़ा गया हो या अकेले इंजन (इंजनों को) शट-डाउन या खड़ा किया गया हो तो इंजन को छोड़ने से पहले लोको पायलट/सहायक लोको पायलट द्वारा की जानेवाली कार्रवाई :

**(1)**एसए-9 और ए-9 ब्रेक लगाए.

**(2)**हथ ब्रेक और पार्किंग ब्रेक लगाए.

**(3)**इंजन को उपलब्ध लकड़ी के वेजों/आयरन स्किड से सुरक्षित करें.

## इंजीनियरी विभाग..... ध्यान दें

15.27. लाइन पर लॉरी की रक्षाः-

(3) लॉरी से बड़ी लाइन पर 1200 मीटर तथा मीटर और छोटी लाइन पर 800 मीटर की दूरी पर लारी के आगे और पीछे चलनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को पटाखे दिए जाएंगे और ज्योंही लॉरी सामान लादने या उतारने के लिए खड़ी होगी अथवा ज्योंही कोई गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, त्योंही वह आदमी लाइन पर 10-10 की दूरी पर तीन पटाखें रख देगा और रोक हथ सिगनल लगातार प्रदर्शित करता रहेगा.

(4) जैसे ही लॉरी आकर रुकती है यै कोई गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है, एक या इससे अधिक रोक पताका (बैनर फ्लैग) उठानेवाला व्यक्ति उस पताका को रेलपथ के आर-पार तत्काल गाड़ देंगे और रोक हथ सिगनल लगातार दर्शाते रहेंगे.

(5) ऐसे सभी मामलों में, जब लॉरी के आगे या पीछे झंडे लिए हुए व्यक्ति, लॉरी से दिखाई नहीं देते है, तो उनका सिगनल रिले करने के लिए बीच में अतिरिक्त मध्यवर्ती झंडेवालों को तैनात किया जाएगा.

(6) जब तक लॉरी के प्रभारी पदाधिकारी से झंडीवाले को रोक सिगनल और पटाखे हटाने का आदेश नहीं मिलता, तब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा.

## लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/ गाड़ी प्रबंधक (गार्ड)... ध्यान दें

**स.नि. 6.04.2.2** गाड़ी जब प्रस्थान करनेवाली हो, उपयुक्त निर्वात/वायुदाब, जैसा भी मामला हो, पुनः निर्मित/पुनः चार्ज किया जाए और गट्टों, फन्नियों और गुटका रोको को हटाने और/हथ ब्रेकों को निर्मुक्त करने से पहले निर्वात वायु ब्रेक लगाया जाना चाहिए. इसके बाद, गाड़ी चलाने के लिए निर्वात/वायु ब्रेकों को निर्मुक्त किया जाए.

**स.नि. 6.04.2.3.** इंजन के पीछे वाले मालडिब्बों के हथ ब्रेक लगाने या निर्मुक्त करने के लिए लोको पायलट स्वयं या उसके निर्देश पर सहायक लोको पायलट जिम्मेदार होंगे. ब्रेकयान के अंदर वाले मालडिब्बों के संबंध में इस प्रकार की कार्रवाई के लिए गार्ड जिम्मेदार होगा.

**स.नि. 6.04.24.**150 में 1 या 100 में 1 से अधिक खड़ी ढाल वाले सेक्शन पर गाड़ी जब रुकी हो, तो गाड़ी के फिसलन को रोकने के लिए लोको पायलट, गाड़ी की ब्रेक शक्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उपनियम 2.1 में बताए अनुसार अतिरिक्त सावधानी बरतेगा.